संसाधन पुस्तिका

aadi

आदि द्वारा विकसित

सौजन्य से

hans THE FOUNDATION

प्रस्तावना

इस संसाधन पुस्तिका के माध्यम से बल्लभगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण वासियों , विकलांग व्यक्तियों व उनके परिवारों को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में तथा उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पुस्तिका में कुछ ही मुख्य क्षेत्रों व विभागों से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई है तथा यह अगस्त व सितम्बर माह 2016 में एकत्रित जानकारियों के आधार पर बनी है । अतः समय के साथ कुछ जानकारी आगे परिवर्तित होगी तथा कुछ नई जानकारी व विभाग इस पुस्तिका में जुड़ते चले जायेंगे ।

आशा है इस पुस्तिका के अन्दर एकत्रित की हुई जानकारी से समुदाय के लोगों को लाभ पहुँचेगा ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

इसका कार्य कमजोर व पिछडे तथा हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण को बढावा देना है। इसके अर्न्तगत् अनुसूचित जातियॉ, अन्य पिछडे वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, नशीले पदार्थ दुरूपयोग के पीड़ित व्यक्ति, घुमंतु जातियॉ, भिखारी, ट्रांसजेन्डर व विकलांग व्यक्ति आते हैं। यह कार्यालय इन सभी समूहों के सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की सुविधाऍ प्रदान करता है।

1.1 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

यह योजना क्या है ?

इसके तहत् गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के मुखिया की मृत्यु होने पर 20000 रूपए राशि प्रदान की जाती है।

प्रक्रिया

मृतक, परिवार का मुख्य जीविकोपार्जक हो, वह 18 से 59 वर्ष के बीच में हो तथा उसका नाम मृत्यु के समय गरीबी रेखा से नीचे की सूची में हो।लाभ प्राप्त करने के लिए मुखिया की मृत्यु होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन निम्न पते पर करना होगा :

कमरा न. 5,
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लघु सचिवालय, सैक्टर 12 ,फरीदाबाद

यह योजना मुखिया, विकलांग व्यक्ति के परिवार के लिए भी है ।

1.2 राजीव गॉधी परिवार बीमा योजना

यह योजना क्या है ?

इसके तहत् यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु रेल/सड़क दुर्घटना के कारण ,डूबने ,सांप के काटने ,बिजली व कृषि के उपकरण से हो जाती है या इन असमान्य कारणों से मुखिया पूर्णतया विकलांग हो जाता है अथवा किसी अन्य अप्राकृतिक कारण जैसे किसी के द्वारा मार दिया जाना ,जहर देने के कारण मृत्यु हो जाती है , तब परिवार को 1 लाख रूपए मिलते हैं । दोनो हाथ या दोनो ऑखो की रोशनी जाने पर अथवा एक हाथ या एक पैर और एक ऑख की विकलांगता होने पर 50000 रूपए या व्यक्ति जिसकी केवल एक ऑख की रोशनी चली गयी है या एक हाथ या एक पैर की विकलांगता हो गई है, को 25000 रूपए मिलते हैं।

प्रक्रिया

बीमाधारी की आयु 18 से 60 वर्ष हो तथा वह हरियाणा राज्य का निवासी हो । हरियाणा राज्य या राज्य से बाहर परिवार के मुखिया की दुर्घटना वश मृत्यु या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की अवस्था में भी परिवार योजना के लाभ का पात्र होगा। प्रभावित परिवार को मृत्यु के 6 माह के अन्दर आवेदन करना होगा। साथ में, उप–मण्डल अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र

की फोटोप्रति एवं एफ.आई.आर. ,पोस्टमार्ट्म, डी.डी. व डी.डी. आर. तथा दुर्घटनाओं के विवरण के दस्तावेज लगाना आवश्यक है।

कमरा न. 5,
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लघु सचिवालय, सैक्टर 12 ,फरीदाबाद

यह योजना मुखिया, विकलांग व्यक्ति के परिवार के लिए भी है ।

1.3 Ok`)koLFkk lEeku HkÙkk योजना

यह योजना क्या है ?

इस योजनाओ के अन्तर्गत् सभी वृद्ध व्यक्तियों को जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हों , को 1400 रूपए प्रति माह की दर से पेन्शन दी जाती है। इसके अर्न्तगत् लाभ लेने के लिए, वृद्ध व्यक्ति/उनके जीवन साथी की सालाना आमदनी 2 लाख रूपए से अधिक न हो ।

प्रक्रिया

ई–दिशा में फार्म भरे जाते है। किसी दिन भी फार्म ई–दिशा में कार्यरत् व्यक्ति की सहायता से भर सकते हैं या जिला समाज कल्याण अधिकारी, फरीदाबाद से फार्म लेकर भर सकते हैं तथा राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित फोटोप्रति (आयु प्रमाण पत्र में बोर्ड की सनद या अंक तालिका ही मान्य है । अगर अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो अपने बड़े बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दें, जिसकी आयु कम से कम 42 वर्ष हो) लगानी होती है।

पता है :

कमरा न. 5,
जिला समाज कल्याण अधिकारी, फरीदाबाद
लघु सचिवालय, सैक्टर 12

इस योजना का लाभ विकलांग व्यक्ति भी ले सकते हैं।

1.4 विधवा HkÙkk योजना

यह योजना क्या है ?

इस योजना में आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो तथा पति की मृत्यु हो गई हो या बेसहारा/निराश्रित हों या पति को 100% विकलांगता हो या आवेदक तलाकशुदा हो या आवेदक का पति पुलिस रिकार्ड के अनुसार 7 वर्ष से अधिक समय

से लापता हो , उन्हें 1400 रूपए प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है। इसके अर्न्तगत् महिला की सालाना आमदनी 2 लाख रूपए से अधिक न हो ।

प्रक्रिया

ई–दिशा में फॉर्म भरे जाते है। किसी दिन भी फॉर्म ई–दिशा में कार्यरत् व्यक्ति की सहायता से भर सकते हैं या जिला समाज कल्याण अधिकारी, कमरा न. 5, लघु सचिवालय, सैक्टर 12 ,फरीदाबाद से फॉर्म लेकर भरना होता है । पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/पारिवारिक सदस्यों के मृत्यु का प्रमाण पत्र , बेसहारा/निराश्रित का सरपंच द्वारा लिखित में प्रमाणित होना, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोप्रति लगानी होती है। फॉर्म के साथ लगे दस्तावेज के असल भी साथ लेकर जाने हैं। इस योजना का लाभ विकलांग विधवा महिला भी ले सकती हैं।

1.5 लाडली सामाजिक सुरक्षा पेन्शन

यह योजना क्या है ?

इस योजना के वहीं व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी आयु 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो। प्रार्थी की केवल लडकी या लडकियां हों। प्रार्थी का स्वयं का या दत्तक पुत्र न हो। इसमें 1400 रूपए प्रतिमाह की दर से पेंशन देने का प्रावधान है। प्रार्थी हरियाणा का स्थाई निवासी हो। परिवार की सालाना आमदनी 2 लाख रूपए से अधिक न हो। 15 वर्ष के लिए पेन्शन मिलेगी। यह पेन्शन लडकियों की माता को मिलेगी ,माता की मृत्यु होने पर पिता को मिलेगी । सरपंच से सत्यापित होगा कि प्रार्थी की केवल लडकी या लडकियां हैं तथा आयु 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में हो।

प्रक्रिया

ई–दिशा में फॉर्म भरे जाते है। किसी दिन भी फॉर्म ई– दिशा में कार्यरत् व्यक्ति की सहायता से भर सकते हैं । सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि ई– दिशा में स्कैन करके फॉर्म के साथ अपलोड होती है या जिला समाज कल्याण अधिकारी, कमरा न. 5, लघु सचिवालय, सैक्टर 12 , फरीदाबाद से फॉर्म लेकर भरना होता है । फोटो प्रतिलिपि भरे फॉर्म के साथ जमा की जाती है। असली प्रतिलिपि भी साथ लेकर जानी होती है । इस योजना का लाभ विकलांग माता–पिता भी ले सकते हैं।

1.6 किन्नर HkÙkk स्कीम

यह योजना क्या है?

इस योजना के तहत् 1400 रूपए प्रतिमाह की दर से HkÙkk दिया जाता है। प्रार्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, हरियाणा का स्थाई निवासी हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से किन्नर होने का प्रमाण पत्र हो।

प्रक्रिया

ई–दिशा में फॉर्म भरे जाते है। किसी दिन भी फॉर्म ई– दिशा में कार्यरत् व्यक्ति की सहायता से भर सकते हैं सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि ई– दिशा में स्कैन करके फॉर्म के साथ अपलोड होती है या जिला समाज कल्याण अधिकारी, कमरा न. 5, लघु

सचिवालय, सैक्टर 12, फरीदाबाद से फॉर्म लेकर भरना होता है । फोटो प्रतिलिपि भरे फॉर्म के साथ जमा की जाती है। असली प्रतिलिपि भी साथ लेकर जानी होती है । इस योजना का लाभ विकलांग किन्नर व्यक्ति भी ले सकते हैं।

1.7 निराश्रित बच्चे को मिलने वाली वित्तीय सहायता

यह योजना क्या है ?

इस योजना के अन्तर्गत् उन निराश्रित बच्चों को जिनकी आयु 21 वर्ष से कम हो उनको प्रतिमाह 500 रूपए सहायता दी जाती है। यह योजना तभी मिलती है जब पिता की मृत्यु हो गई हो या जेल मे हों या पिता 7 साल से लापता हों । यह वित्तीय सहायता अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए है तथा बच्चे सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल मे पढ़ते हों ।

प्रक्रिया

ई–दिशा में फॉर्म भरे जाते है। किसी दिन भी फॉर्म ई– दिशा में कार्यरत् व्यक्ति की सहायता से भर सकते हैं सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि ई– दिशा में स्कैन करके साथ अपलोड होती है या जिला समाज कल्याण अधिकारी, कमरा न. 5, लघु सचिवालय, सैक्टर 12, फरीदाबाद से फॉर्म लेकर भरना होता है । आवेदन के साथ बच्चों की जन्म तिथि, राशन कार्ड, आधार कार्ड, हरियाणा के रिहायशी प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोप्रति लगानी होती है। फॉर्म के साथ लगे दस्तावेज की असली भी साथ लेकर जानी होती है । यह योजना मुखिया, विकलांग व्यक्ति के परिवार के लिए भी है ।

1.8 18 वर्ष से कम स्कूल न जोने वाले

यह योजना क्या है ?

विकलांग बच्चे ,जो स्कूल नहीं जाते हैं , उन्हें 700 रूपए प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अर्न्तगत् मानसिक विकलांगता में आई–क्यू 50 या उससे कम हो या बच्चे की विकलांगता सेरेब्रल पॉल्सी , ऑटिज्म या बहु विकलांगता 70 प्रतिशत या उससे अधिक हो, तब वह इस प्रकार की वित्तीय सहायता लेने का अधिकारी होता है।

प्रक्रिया

ई–दिशा में फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते है। किसी दिन भी फॉर्म ई–दिशा में कार्यरत् व्यक्ति की सहायता से भर सकते हैं सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि ई–दिशा में स्कैन करके फॉर्म के साथ अपलोड होती है। ई–दिशा में कार्यरत् व्यक्ति फॉर्म ऑनलाइन भेजने के बाद एक पर्ची देते हैं ,जिसके द्वारा बाद में फॉर्म कहॉ तक पहुँचा है, पता किया जा सकता है या यह फॉर्म जिला समाज कल्याण अधिकारी, कमरा न. 5, लघु सचिवालय, सैक्टर 12 , फरीदाबाद से फॉर्म लेकर भरना होता है । चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोप्रति लगाई जाती है। फॉर्म के साथ लगे दस्तावेज के साथ असली प्रतिलिपि भी साथ लेकर जानी होती है ।

1.9 विकलांगता पेन्शन योजना

यह योजना क्या है ?

इस योजना में आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, विकलागता 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत हो या मानसिक विकलांगता में आई–क्यू 50 या उससे कम हो , उन्हे 1400 रूपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

प्रक्रिया

ई–दिशा में फॉर्म भरे जाते है। किसी दिन भी फॉर्म ई–दिशा में कार्यरत् व्यक्ति की सहायता से भर सकते हैं सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि ई–दिशा में स्कैन करके फॉम के साथ अपलोड होते हैं या जिला समाज कल्याण अधिकारी, लघु सचिवालय, कमरा न. 5, सैक्टर 12 , फरीदाबाद से फार्म लेकर भरना होता है । चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जो 3 वर्ष से पुराना न हेा, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोप्रति लगाई जाती है। फॉम के साथ लगे दस्तावेज के साथ असली प्रतिलिपि भी साथ लेकर जानी होती है ।

1.10 बौनेपन की विकलांगता के लिए योजना

यह योजना क्या है ?

जिन पुरूष व महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, पुरूष का कद् 3 फुट 8 इंच व महिला का कद् 3 फुट 3 इंच हो उनको 1400 रूपए प्रतिमाह की दर से भत्ता दिया जाता है। व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए तथा 1 वर्ष से उसी पते पर रहता हो जहॉ का पता वह प्रार्थना पत्र में दे रहा है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

प्रक्रिया

ई–दिशा में फॉर्म भरे जाते है। किसी दिन भी फॉर्म ई– दिशा में कार्यरत् व्यक्ति की सहायता से भर सकते हैं सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि ई– दिशा में स्कैन करके फार्म के साथ अपलोड होते हैं या जिला समाज कल्याण अधिकारी, लघु सचिवालय, कमरा न. 5, सैक्टर 12 , फरीदाबाद से फार्म लेकर भरना होता है। फोटो प्रतिलिपि भरे फॉर्म के साथ जमा की जाती है। असली प्रतिलिपि भी साथ लेकर जानी होती है ।

1.11 स्वावलंबन योजना

यह योजना क्या है ?

विकलांग व्यक्तियो के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना, न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू की है । इसके अर्न्तगत् पारिवारिक बीमा रू 2 लाख 12 महीने की अवधि के लिए तथा परिवार 1+3 तक परन्तु प्राथमिक सदस्य विकलांग व्यक्ति हो । 18 वर्ष से कम आयु के विकलांग व्यक्ति के माता–पिता उसके संरक्षक होंगे व उन्हें इस येाजना में शामिल किया जायेगा । विकलांग व्यक्ति जिनकी आयु 0– 65 वर्ष तथा वार्षिक आय तीन लाख से नीचे है, इसके हकदार हैं। पूर्व चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य नहीं है। यूनिफॉर्म प्रीमियम योगदान 355 रूपए प्रति व्यक्ति /परिवार टैक्स सहित देना है। विकलांग व्यक्ति के सुधारात्मक उपचार के लिए 10000 रूपए एक साल के लिये ओ.पी.डी कवर हैं। मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों और मानसिक बीमारी वाली विकलांगता वाले लोगों के लिए रूपए 3000 प्रति वर्ष ओ.पी.डी. कवर है ।

प्रक्रिया

पॉलिसी में शामिल किए जाने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य की पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें तथा हस्ताक्षर के साथ संपूर्ण प्रस्ताव और रूपए 355(प्रीमियम 310 + सेवा कर 45) देने होते है। साथ में विकलांगता प्रमाण पत्र ,वैद्य पहचान पत्र यानी वोटर आई कार्ड या ड्राइविंग लाइसेन्स तथा आधार कार्ड की प्रति लगानी है । खाता संख्या , बैक का नाम , आई एफ एस सी कोड रद्द चेक आदि की प्रति अगर उपलब्ध है तो देनी है।

पंजीकृत कार्यालय,
न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी ,
आकाश सिनेमा हॉल के पीछे,
बैक आफ इंडिया , प्रथम तल
समय : प्रातः 11 से 12 बजे
साय : 4 से 5 बजे
श्री कमल – 9643104042

उपरोक्त पते पर सम्पर्क न होने पर नीचे दिए गए पते पर मिलें :
सैक्टर – 29 , मेन मथुरा रोड,
एस्कोर्ट कॉर्पोरेट ऑफिस,
फरीदाबाद
टोल फ्री न. 18002091415

1.12 राष्ट्रीय विकलांग विÙा निगम

राष्ट्रीय विकलांग विÙा निगम के द्वारा विकलांग व्यक्ति को आय अर्जित करने व स्व–रोजगार के लिए ऋण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है ।

1.12 अ ऋण योजना

योजना क्या है ?

राष्ट्रीय विकलांग विÙा निगम के विकलांग व्यक्ति को आय अर्जित करने व स्व–रोजगार के द्वारा आत्मनिर्भर होने के लिए वित्तीय सहायता देता है। जिसकी पात्रता है ,भारतीय नागरिक होना, 18 वर्ष की आयु होना , 40% का विकलांगता प्रमाण पत्र होना तथा प्रासंगिक शिक्षा/व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा तथा उससे जुडा कार्य अनुभव होना ।

जिन कार्यो के लिए निगम ऋण उपलब्ध कराता है वो हैं :

1 छोटे उद्योग–ट्रेडिंग/सर्विस के लिए

300000 रूपए तक का ऋण सेल व ट्रेडिंग के लिए
500000 रूपए तक का ऋण सर्विस सैक्टर के लिए

2 व्यवसायिक वाहन खरीदने के लिए

1000000 रूपए तक जिसमें ऑटो भी शामिल है

3 छोटी औद्योगिक ईकाई लगाने के लिए

जिसमें निर्माण, कढ़ाई एवमं उत्पादन हो 2500000 रूपए तक

4 कृषि गतिविधि के लिए

जिसमे कृषि उत्पादन, सिंचाई बागवानी, मशीनरी–उपकरण खरीद व कृषि उत्पादो के विपणन शामिल है

1000000 रूपए तक का ऋण

5 सेरेब्रल पॉलसी, मानसिक विकलांग व ऑटिज्म वाले व्यक्तियो के स्व–रोजगार के लिए

इसमें ऋण कानूनी अभिभावक व पत्नी के माध्यम से दिया जाता है 10 लाख रू तक की ऋण राशि के ऊपर लगने वाले ब्याज की दर हैं :

- 50000 रूपए तक 5 प्रतिशत
- 50000 रूपए से 500000 रूपए तक 6 प्रतिशत
- 500000 रूपए से 1500000 रूपए तक 7 प्रतिशत
- 1500000 से 2500000 रूपए तक 8 प्रतिशत

तथा दिखाई न देने, सुनाई न देने व मंदबुद्वि विकलांगता वाले व्यक्ति को 1/2 प्रतिशत की छूट है।

6 विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा – प्रशिक्षण हेतु ऋण

विकलांग व्यक्ति जो भारत एवं विदेशों में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से व्यवसायिक पाठ्यकमों में पढाई कर रहे हैं को ट्यूशन एवं अन्य फीस /मैन्टिनेन्स कॉस्ट /किताबों एवं उपकरण आदि पर होने वाले खर्च को पूरा करने हेतु ऋण मिलता है । यह ऋण विकलांग व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो जिसे 40% या उससे अधिक विकलांगता हो को ही दिया जाता है। ऋण संयुक्त रूप से विकलांग विद्यार्थी और उसके माता–पिता /अभिभावक को मिलता है। भारत में अध्ययन के लिए अधिकतम 10 लाख रूपए व विदेशों में अध्ययन के लिए अधिकतम 20 लाख रूपए तथा ऋण सीमा माता–पिता /विद्यार्थी की ऋण चुकाने की क्षमता के अनुसार है । विकलांग व्यक्ति व माता–पिता या अभिभावक का योगदान 4 लाख रूपए ऋण तक शून्य , भारत में पाठ्यकंमों के लिए 4 लाख रूपए से अधिक 5 % तथा विदेशो में पाठ्यक्रमों के लिए 4 लाख रूपए से अधिक 15 % का होना चाहिए । ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक व महिला विद्यार्थी को ब्याज में 0.5 % की छूट होगी । ऋण की अदायगी के आरम्भ होने के पश्चात, 7 वर्ष के भीतर यह ऋण चुकाना होगा । ऋण की अदायगी नियमानुसार पाठ्यक्रम की समाप्ति की निर्धारित तिथि से 6 महीने पश्चात अथवा नौकरी मिलने के पश्चात , जो भी पहले हो प्रारम्भ होगी।

7 कौशल एवं उदयमीय विकास हेतु वि**Ù**ीय सहायता उद्देश्य

विकलांग व्यक्तियों को सक्षम एव स्वावलम्बी बनाने के लिए यह योजना है। जिसमें कि पारम्परिक एवं तकनीकी व्यवसायों एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उचित तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है । प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष है। अनुदान की धनराशि प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुल आवर्ती लागत की 100% , एन.एच.एफ.डी.सी के द्वारा प्रदान की गई है । वजीफा विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह 2000 रूपए परिवहन और अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए दिया जाता है।

प्रक्रिया

प्रशिक्षण के प्रस्ताव को राज्य माध्यम एजेंसी / बैंक के द्वारा राष्ट्रीय विकलांग विÙk एवं विकास निगम की योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशिक्षण के प्रस्ताव को राष्ट्रीय विकलांग विÙk एवं विकास निगम को भेजना होगा ।

8 प्रशिक्षण संस्थान

एस.सी.ए. उपायुक्त प्रशिक्षण संस्थान की पहचान करेगा जो अधिमानतः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.), पॉलीटेक्निक ,इंजिनीयरिंग कालेज ,कृषि विश्वविद्यालय , राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लधु व्यवसाय विकास संस्थान आदि जैसे सरकारी संस्थान होगें । ऐसे प्रशिक्षण प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जा सकते है जिसमें प्रतिष्ठित निजी प्रशिक्षण संस्थान शामिल हों । ऐसे मामलो में संस्थान का प्रोफाईल ,उसका पिछला रिकॉर्ड विशेषकर समाज के विकलांग वर्ग के लिए आयोजित किये गये प्रशिक्षण आदि प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है । अन्ध तथा मूक बधिर विकलांग व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने के लिए संस्थान की सुविधाओं की जॉच की जानी चाहिए और उसका ब्यौरा प्रशिक्षण प्रस्ताव में दिया जाना चाहिए ।

9 अभिभावक संघ के लिए मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना ऋण 5 लाख रूपए तक

मानसिक विकलांग व्यक्तियों के अभिभावक संघ कों 5 लाख रूपए तक ऋण प्रदान करने के लिए है, जहॉ मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए आय पैदा करने वाली गतिविधियॉ होती हों व उसमे वो भागीदारी करें तथा आय का सीधा लाभ उन्हें प्राप्त हो ।

योजना क्या है ?

मानसिक विकलांग व्यक्तियों के माता–पिता का नाम संघ मे कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए। इसमें न्यूनतम 5 माता–पिताओं की सदस्यता होनी चाहिए । कोई भी केन्द्र सरकार , राज्य सरकार , निजी उपक्रम के किसी अन्य विÙीय संस्थान , बैको आदि का विÙीय बकयादार नहीं होना चाहिए । प्रत्येक गैर सरकारी संगठन के लिए 5 लाख रूपए तक ऋण सीमित है। गैर सरकारी संगठन का शेयर परियोजना लागत का 5% होगा। गैर सरकारी संगठन ऋण का उपयोग एकल अथवा बहु गतिविधियॉ परियोजना के क्रियान्वित में लगायेगी जिसमें लाभभोगियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

प्रक्रिया

ऋण धनराशि पर ब्याज निम्नलिखित अनुसार लिया जाएगा :

50000 रूपए तक 5 प्रतिशत प्रति वर्ष व 50000 रूपए से अधिक परन्तु 5 लाख से कम 6 प्रतिशत प्रति वर्ष लिया जाएगा।

स्कीम के अर्न्तगत् गैर सरकारी संगठन द्वारा ऋण आवेदन सीधे राष्ट्रीय विकलांग विÙा एवं विकास निगम को प्रस्तुत करना होगा तथा गैर सरकारी को, अपनी प्रबंध समिति न्यास /बोर्ड द्वारा एक संकल्प पारित करवाना होगा । इसका प्रमाण आवेदन सहित भेजना अनिवार्य होगा । ब्याज सहित ऋण 10 वर्ष के भीतर बराबर तिमाही किश्तों में अदा किया जायेगा।

राष्ट्रीय विकलांग विÙा निगम की वैब साईट पर जाकर कुछ योजनाओं के लिए ऑन लाइन फॉर्म भी जमा करवा सकते हैं जैसे–शिक्षा ऋण, वजीफा, कौशल प्रशिक्षण आदि तथा अन्य सभी योजनाओं के लिए पूरी जानकारी राष्ट्रीय विकलांग विÙा निगम के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है व पात्रता सम्बन्धित सभी दस्तावेज लगाकर सीधे राष्ट्रीय विकलांग विÙा निगम के कार्यालय में जमा करवाना है जिसका पता है :

पंजीकृत कार्यालय,
राष्ट्रीय विकलांग विÙा निगम,
रैड क्रास भवन, सैक्टर–12, कोर्ट,
फरीदाबाद
फोन नम्बरः 0129–2287512,2287513,2280214,2280335 ,2264841
ई–मेल : **nhfdc97@gmail.com**
वैब साईटः **www.nhfdc.nic.in**

कॉर्पोरेट कार्यालय :

पी.एच.डी. हाउस , तीसरा तल,
4/2, सिरी इंस्टीटयूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–45803730,45088637

1.13 राष्ट्रीय न्यास कानून 1999 के द्वारा दी जाने वाली योजनाएँ

राष्ट्रीय न्यास क्या है ?

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ऑटिज्म, सेरीब्रल पॉल्सी, मानसिक विकलांगता तथा बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए , राष्ट्रीय न्सास अधिनियम 1999 के तहत गठित एक कानूनी निकाय है । राष्ट्रीय न्यास का गठन विकलांगता वाले व्यक्तियों की जिन प्रमुख बातों के लिए किया गया है वो हैं :

- विकलांग व्यक्ति को समाज मे स्वतंत्र और पूर्ण जीवन जीने के लिए समर्थ और सशक्त बनाना
- विकलांग व्यक्ति को उनके अपने परिवार में रहने के लिए सुविधाओं की जानकारी व उनसे जोड़ना
- संस्थाओं को पंजीकृत करके तथा उनके द्वारा विकलांग व्यक्ति के परिवार में परेशानी के समय आवश्यकतानुसार सेवाएँ उपलब्ध कराना
- अकेले रहने वाले विकलांग व्यक्ति की परेशानियों का समाधान करना
- विकलांग व्यक्ति के माता–पिता या संरक्षको की मृत्यु की दशा में देखभाल और संरक्षण के उपाय करना

- विकलांग व्यक्ति जिन्हे देखभाल और संरक्षण के लिए संरक्षक की आवश्यकता है , संरक्षक और न्यासी नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया तय करना
- विकलांग व्यक्ति को समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और उन्हे पूर्ण भागीदारी के लिए सशक्त बनना

1.13 अ निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना

यह योजना क्या है ?

1 लाख रूपए का बीमा सुरक्षा उन विकलांग बच्चे/व्यक्ति के लिए जिनको सेरेब्रल पॅाल्सी , आटिज्म या मानसिक विकलांगता या बहु विकलांगता है व जिनके पास विकलांगता का वैद्य प्रमाण पत्र हो वे इस योजना के अर्न्तगत आवेदन के पात्र है ।

प्रक्रिया

फॉर्म नैशनल ट^{a}स्ट की वैबसाइट ***www.thenationaltrust.gov.in*** से डाउनलोड किया जा सकता है या फरीदाबाद की एल. एल. सी. टैन्डरहार्ट, से लिया जा सकता है। फॉर्म भरने में टैन्डरहार्ट या नैशनल ट^{a}स्ट के अर्न्तगत् आने वाली सेरेब्रल पॅाल्सी , ऑटिज्म या मानसिक विकलांगता या बहु विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाऍं भी भरवा सकती हैं। फॉर्म के साथ विकलांग बच्चे के विकलांगता प्रमाण पत्र ,दो पास पोर्ट फोटो, राशन कार्ड की फोटो प्रतिलिपि (यदि निम्न वर्ग का है तो उस पर मोहर) ,बैंक का नाम व पता ,बैक खाता संख्या ,बैंक खाता धारक का नाम, बैंक का आइ. एफ. एस. सी. कोड ,बैंक जिस क्षेत्र में है व जिस जिले में है, यह सब देना होता है। साथ में 15000 रूपए प्रति माह या अधिक आमदनी वाले परिवार को 500रूपए तथा 15000 रूपए प्रति माह से कम आमदनी वाले परिवार को 250 रूपए जिला लोकल लेवल कमेटी सदस्य संस्था टैन्डरहार्ट को फॉर्म के साथ जमा करने होंगे । टैन्डरहार्ट संस्था फॉर्म ऑनलाइन भेजेगी ।

जिसका पता है–

टेन्डर हार्ट स्कूल, गॉव भतोला,
तिगॉव रोड, जिला– फरीदाबाद
फोन नम्बर **91-9350844393 / +91-9718516337**
Email: tenderheartngo@yahoo.com

1.13 ब ज्ञान प्रभा

जो विकलांग व्यक्ति राष्ट्रीय न्यास के अन्तर्गत आते हैं उनकी उच्च शिक्षा व कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना है, ताकि वो रोजगार या स्व–रोजगार से जुड सकें । उच्च शिक्षा व कौशल विकास के लिए जो कोर्स हैं, उन कोर्सो को करने के लिए एक निर्धारित रकम प्रति कोर्स के लिए विकलांग व्यक्ति को कोर्स फीस, यातायात, किताबों व जेब खर्च के लिए दी जाती है । कोर्स जिसके के लिए यह योजना है वो हैं :

1. व्यवसायिक कोर्स : B.Arch, B.D.S., B.H.M.S., B.U.M.S., M.B.B.S., M.D., L.L.B., L.L.M., M.B.A., B.B.A., B.Tech, M.Tech, C.A., C.S., P.hd । इन कोर्सो को करने के लिए 5200 रूपए प्रतिमाह विकलांग व्यक्ति को दिये जायेगें ।

2. स्नातक व स्नातकोÙार : B.A., B.Com., B.Sc.,B.P.Ed., B.Ed., B.PT., B. Pharma., M.Com., M.A., M.PT,M.P.Ed । इन कोर्सो को करने के लिए 2000 रूपए प्रतिमाह विकलांग व्यक्ति को दिये जायेगें ।

3. वोकेशनल कोर्स :I.T.I., Polytechnic, certificate course । इन कोर्सो को करने के लिए 1600 रूपए प्रतिमाह विकलांग व्यक्ति को दिये जायेगें ।

पात्रता

- कोई आयु सीमा नहीं
- केवल उन्ही विकलांगता के लिए जो राष्ट्रीय न्यास के अन्तर्गत् आती हैं
- विकलांग व्यक्ति राष्ट्रीय न्यास के अन्तर्गत् आने वाला घरौंदा, दिशा ,समर्थ या विकास योजना मे पंजीकृत नही होना चाहिए
- विकलांग व्यक्ति को केवल एक कोर्स को एक समय में करने पर ही ज्ञान प्रभा योजना का लाभ मिलेगा
- कोर्स मान्यता प्राप्त हो तथा कॉलेज दाखिले के अंतिम दस्तावेज दिखाने पर ही मिलेगा

प्रकिया

ज्ञान प्रभा योजना का लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय न्यास की वैब साईट पर जाकर आवेदन करना होगा व दस्तावेज जो अप लोड करने होगें वो निम्नलिखित है :

- विकलांग व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक विवरण जिसमें विकलांग व्यक्ति का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या, शाखा का नाम, शाखा का पता व आइ. एफ. एस. सी. कोड
- कॉलेज/संस्थान /पंजीकृत संगठन जहॉ दाखिले लिया है वहॉ दाखिले के अंतिम दस्तावेज
- माता–पिता/अभिभावक के पहचान के साक्ष्य प्रमाण
- दस्तावेज जो विकलांग व्यक्ति को कोर्स पूरा करने के लिए जो अधिकतम समय सीमा प्रदान कि गयी है को दर्शाता हो
- माता–पिता/अभिभावक के द्वारा दिया गया हलफनामा जिसमे कम से कम 50 प्रतिशत उपस्थिति आवागमन के साक्ष्य के लिए तौर पर

1.13 स अभिभावकता/ संरक्षकता

माता–पिता अपने बच्चे के प्राकृतिक अभिभावक होते हैं जिसको कानून भी स्वीकार करता है। व्यक्ति के 18 वर्ष के होने के बाद व्यक्ति को अभिभावक की आवश्यकता नहीं होती है और वह व्यस्क में गिना जाता है । परन्तु सेरेब्रल पॉल्सी ,ऑटिज्म ,

मानसिक विकलांगता व बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों को देखभाल के लिए संरक्षकता की आवश्यकता हो सकती है । अतः राष्ट्रीय न्सास कानून 1999 के अन्तर्गत् विकलांग व्यक्ति जिन्हें सेरेब्रल पॉल्सी ,ऑटिज्म , मानसिक विकलांगता व बहु विकलांगता है की संरक्षकता लेने का प्रावधान है ।

यह क्या है ?

इसमें केवल सेरेब्रल पॉल्सी ,ऑटिज्म , मानसिक विकलांगता व बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों की संरक्षकता 18 वर्ष की आयु होने के बाद ली जाती है ।

इसके अन्तर्गत्, विकलांग व्यक्ति के माता–पिता या माता–पिता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति कोई भी रिश्तेदार , भाई –बहिन, मित्र तथा पंजीकृत संस्थायें विकलांग व्यक्ति की संरक्षकता ले सकते है ।

प्रक्रिया

माता–पिता या नातेदारों को संरक्षक की नियुक्ति के लिए स्थानीय स्तरीय समितियों को आवेदन करना होगा। स्थानीय स्तरीय समिति में जो संस्था सदस्य है केवल वो ही फॉर्म को जमा करेगी । फॉर्म को पूर्णरूप से भरकर तथा फॉर्म पर दो साक्षियों के हस्ताक्षर होने चाहिए । विकलांग व्यक्ति के दो पासपोर्ट आकार के फोटो ,जो/जितने व्यक्ति संरक्षकता ले रहें है उनके विकलांग व्यक्ति के साथ दो पासपोर्ट आकार के फोटो ,विकलांगता प्रमाण पत्र, पहचान व पते के साक्ष्य प्रमाण जैसे –राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, जो कि विकलांग व्यक्ति व जितने व्यक्ति संरक्षकता ले रहें है दोनो के होने चाहिए। यदि माता–पिता संरक्षकता नहीं लेते हैं ,तो उनके द्वारा स्टॉम्प पेपर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र संरक्षकता लेने वाले व्यक्ति के बारे में देना होता है, साथ ही यह भी लिखना होता है कि संरक्षकता लेने वाला या वाले व्यस्क हैं । यदि माता–पिता नहीं हैं तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों के या दोनो में से जिसकी मृत्यु हो चुकी हो उसका देना होता है। साथ ही, सभी भाई–बहिनों के द्वारा संरक्षकता लेने वाले के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्टॉम्प पेपर पर देना होता है। सभी साक्ष्य सरपंच/नोटरी/राजपत्रित अधिकारी के द्वारा सत्यापित करवाये जाते हैं । फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों की दो छाया प्रति भी करवाकर स्थानीय स्तरीय समिति में जो संस्था सदस्य है, के कार्यालय में जमा करनी होती है ।

जिसका पता है–

टेन्डर हार्ट स्कूल, गॉव भतोला,
तिगॉव रोड, जिला– फरीदाबाद
फोन नम्बर 91-9350844393 / +91-9718516337
Email: tenderheartngo@yahoo.com

संदर्भ सूची

जिला समाज कल्याण विभाग : जिला समाज कल्याण विभाग व स्थानीय स्तरीय समिति संस्था कार्यालय , वैब साइट : www.faridabad.nic.in, www.thenationaltrust.gov.in, www.scbchry.gov.in, www.wcdhry.gov.in